कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक : मानचित्र/संस्था/18/813-15 दिनांकः 5.10.2018

श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथ नगर प्रा० लि०

सी.आई.एन.यु. 70200 आर. जे. 2018 पी.टी.सी. 060641

रजि. ओफिस न्यु क्लाथ मार्केट, भीलवाड़ा ।

विषयः– राजस्व ग्राम हरणीखुर्द की आराजी नं. 123,124,125 रकबा 6–19 बीघा का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन।

प्रसंगः– न्यास स्तरीय ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दि. 05.10.2018 एजेण्डा नं. 10

राज्य सरकार की टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं अधिसूचना क्रमांकः एफ –3 (50) यूडीएच/3/2012 जयपुर दिनांक 31.5.2012 एवं राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 3 (90) नविवि/3/12 दिनांक 21.6.12 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में गठित कमेटी बाबत आपसे निवेदन के क्रम में तकनीकी अनुमोदन उपरान्त क्षेत्र का ले आउट प्लान योजना विकसित किये जाने हेतु निम्न शर्तो के साथ जारी किया जा रहा है।

1. नियमानुसार कृषि भूमि रूपान्तरण राशि एवं बाह्य विकास शुल्क न्यास कार्यालय में जमा करवानी होगी।
2. ले–आउट प्लान अनुसार भूमि का विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवनों का निर्माण किया जा सकेगा या दोनों कार्य साथ–साथ भी किये जा सकेंगे।
3. न्यास से भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य आरम्भ करें व स्वीकृत प्लान अनुसार ही विकास कार्य किये जावेंगे जिसमें किसी प्रकार का संशोधन न्यास की पूर्व अनुमति के नहीं किया जावेगा।
4. बाहरी विकास कार्य आदि के संबंध में आपके प्रस्ताव पर न्यास द्वारा पृथक से निर्णय लिया जावेगा ।
5. कॉर्नर के भूखण्डों की नियमानुसार गोलाई छोड़नी होगी।
6. सड़क/सुविधा क्षेत्र में आने वाली भूमि को निःशुल्क समर्पण करना होगा।
7. ले आउट प्लान मंजूर होने के 6 माह में विकास कार्य प्रारंभ करवाने होंगे।

For Shree Jain Shwetamber Terapanth Nagar Pvt. Ltd.

Director/Authorised Signatory

Scanned by CamScanner

8. विकास (सड़क, नाली, सीवरेज, रोशनी इत्यादि) कार्य राज्य सरकार द्वारा टाउनशिप पॉलिसी 2010 में निर्धारित समय में पूर्ण करवाना होगा। विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप करवाना होगा ।
9. अनुमोदित ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों के अतिरिक्त भूमि खाली छोड़ी जावेगी। जिसे अनुमोदित ले आउट प्लान अनुसार अंकित किये उपयोग हेतु सड़को की भूमि सहित स्पष्ट रूप से चिन्हित (डिमार्केट) करना होगा ।
10. निर्धारित समयावधि में मानदंडों के अनुसार योजना के सभी आवश्यक विकास कार्य पूर्ण कर अधिवास प्रमाण पत्र लिया जावेगा ।
11. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिये व्यवस्था करना अनिवार्य होगी ।
12. भूखण्ड पर भवन निर्माण से पूर्व नियमानुसार सेट बेक छोड़ते हुए न्यास से मानचित्र अनुमोदन करवाना होगा ।
13. समय–समय पर राज्य सरकार एवं न्यास द्वारा जारी नियमों/शर्तो की पालना करने होगी व न्यास को आवश्यकता होने पर नियमानुसार भूमि देनी होगी ।
14. उपरोक्तानुसार पालना नहीं होने पर स्वीकृति निरस्त की जावेगी ।
15. सुविधाओं की भूमि न्यास को लिखित में मय नापें क्षेत्रफल डिमार्केट कर समर्पित करनी होगी।
16. नक्शें की प्रति संलग्न है।

5-10-18

उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :–

1. प्रभारी अधिकारी, नियमन शाखा को भेजकर लेख है कि स्वीकृत ले–आउट प्लान की प्रति मास्टर पत्रावली में संधारित करावें।
2. ड्राईंग शाखा को भेजकर लेख है कि रेकार्ड संधारित करें।

उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भीलवाड़ा

For Shree Jain Shwetamber Terapanth Nagar Pvt. Ltd.

Director/Authorised Signatory

Scanned by CamScanner

(67)

PROPOSED LAYOUT PLAN OF
"SHREE JAIN SWETAMBAR TERAPANTH NAGAR "
AT ARAJI NO. 123-125 REVENUE VILLAGE
HARANI KHURD, TEHSIL BHILWARA,
TOTAL RAKABA 6-19 BIGA

SCALE 1"=80FT

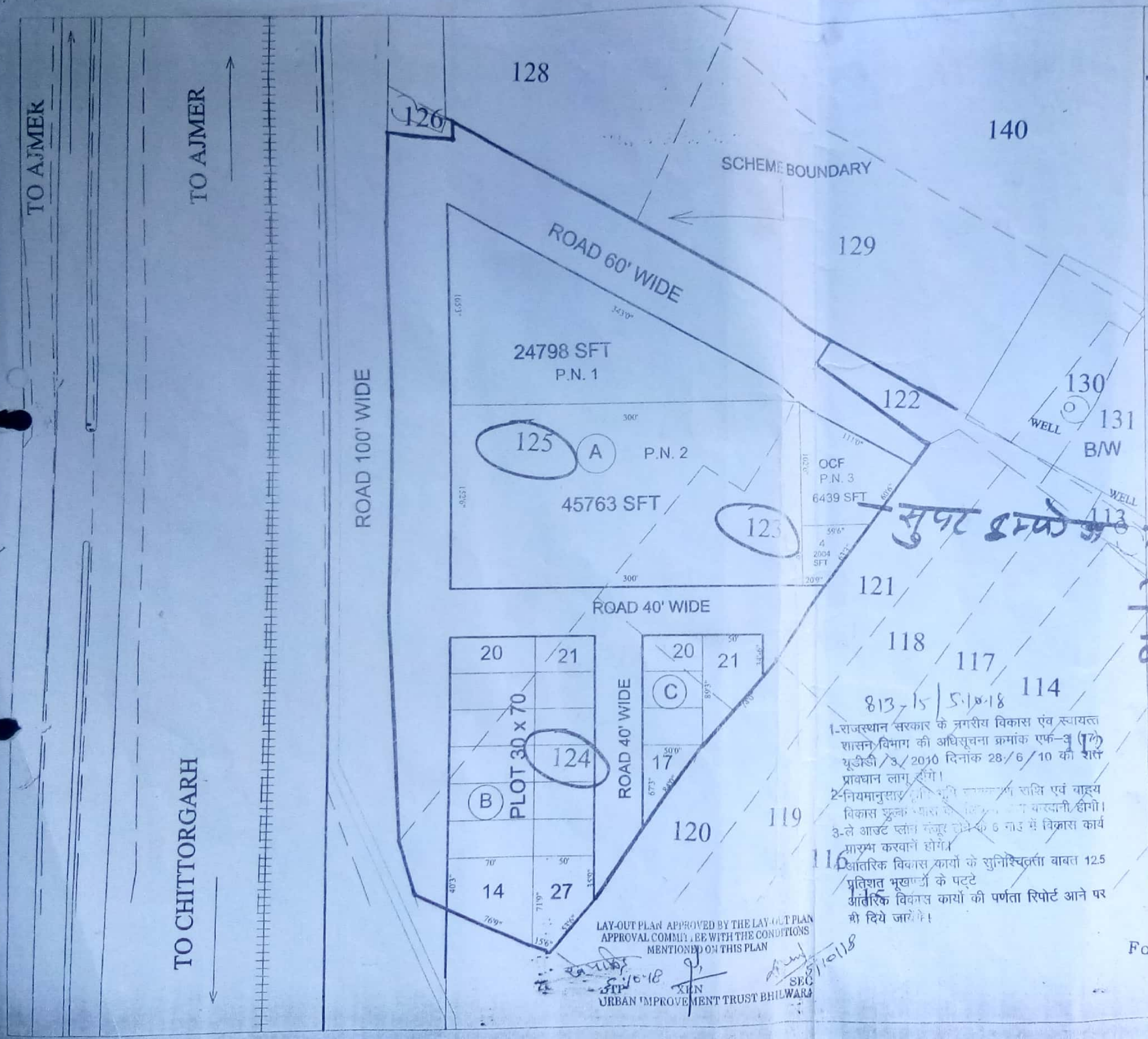

AREA STATEMENT

S.No.	PARTICULAR	AREA (SFT)	AREA SQYD.	AREA SQM.	%
1.	PLOT AREA	110277	12253	10248.79	58.28
2.	OCF	6439	715.44	598.42	3.40
3.	ROAD	72497.75	8055.30	6737.70	38.32
	TOTAL	189213.75	21023.75	17584.92	100.00

01.10.18

813-15 | 5.10.18

1-राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एंव स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3 (17) यूडीएच/3/2010 दिनांक 28/6/10 की शर्त प्रावधान लागू होंगे।

2-नियमानुसार [illegible] राशि एवं बाह्य विकास शुल्क [illegible] करवानी होगी।

3-ले आउट प्लान मंजूर होने के 6 माह में विकास कार्य प्रारम्भ करवाने होंगे।

4-आंतरिक विकास कार्यों के सुनिश्चितता बाबत 12.5 प्रतिशत भूखण्डों के पट्टे आंतरिक विकास कार्यों की पूर्णता रिपोर्ट आने पर ही दिये जायेंगे।

For FIRST ...
Proprietor

For Shree Jain Shwetambar Terapanth Nagar Pvt. Ltd.
Director/ Authorised Signatory
APPLICANT

For Shree Jain Shwetamber Terapanth Nagar Pvt. Ltd.
Director/Authorised Signatory

Scanned by CamScanner